भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 531
उत्तर देने की तारीख 3 दिसंबर, 2025

संशोधित भारत नेट कार्यक्रम (एबीएनपी)

531. श्री बी. के. पार्थसारथीः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) संशोधित भारत नेट कार्यक्रम (एबीएनपी) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में उन्नयन हेतु चयनित ग्राम पंचायतों (जीपी) के ब्रॉडबैंड नेटवर्क की राज्य-वार और जिला-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायत के अभाव वाले गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए वर्ष, राज्य और जिला-वार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए और अनुमोदित किए गए;

(ग) एबीएनपी के अंतर्गत बीएसएनएल द्वारा राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य-वार और वर्ष-वार स्वीकृत और वितरित निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) भारतनेट नेटवर्क के संचालन और रखरखाव के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों की ऑनबोर्डिंग स्थिति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) भारतनेट उद्यमियों (बीएनयू) के चयन के लिए प्रयुक्त मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(च) आंध्र प्रदेश में एबीएनपी के अंतर्गत वर्ष-वार, राज्य-वार और जिला-वार कितने बीएनयू कार्यरत हैं; और

(छ) बीएनयू द्वारा कितने नए घरेलू फाइबर कनेक्शन चालू किए गए हैं और ऐसा करने के लिए बीएनयू को राज्य-वार कितनी प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) आंध्रप्रदेश राज्य में राज्य आधारित मॉडल के अंतर्गत ग्राम पंचायतों (जीपी) को रिंग टोपोलॉजी में जोड़ने और बिना ग्राम पंचायत वाले गांवों को मांग के आधार पर जोड़ने के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) प्रस्तावित है। संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) के तहत उन्नयन के लिए कुल 1,692 ग्राम पंचायतों (जीपी) के ब्रॉडबैंड नेटवर्क का कार्य चल रहा है। जिला-वार विवरण इस प्रकार हैं:

क्रम संख्या	जिले का नाम	एबीएनपी के तहत उन्नयन के लिए ग्राम पंचायतों की कुल संख्या
1	अल्लूरी सीताराम राजू	196
2	अनकापल्ली	272
3	अन्नामय्या	242
4	चित्तूर	586
5	तिरुपति	396
	कुल	**1692**

(ख) से (ग) आंध्र प्रदेश राज्य में संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी) को राज्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में आंध्र प्रदेश सरकार के विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) द्वारा लागू किया जाना है। राज्य एसपीवी को एबीपी के कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी जिसमें भारतनेट नेटवर्क का संचालन और रखरखाव और मांग के आधार पर बिना ग्राम पंचायतों वाले गांवों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना भी शामिल है। एबीपी के कार्यान्वयन के लिए निधियों का वितरण डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) द्वारा राज्य एसपीवी को किया जाएगा।

(घ) बीएसएनएल-आधारित मॉडल के तहत 12 पैकेजों को अंतिम रूप दिया गया है, और कुल 18 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (पीआईएएस) ऑनबोर्ड की गई हैं।

(ङ.) कोई भी स्थानीय व्यक्ति, उद्यमी, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), ग्राम पंचायत (जीपी), फर्म, या आईएसपी भारतनेट उद्यमी (बीएनयू) भागीदार बन सकता है।

(च) आंध्र प्रदेश में एबीपी के तहत कार्यरत बीएनयू की संख्या का जिला-वार विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	आंध्र प्रदेश, जिला	बीएनयू की कुल संख्या
1	अल्लूरी सीताराम राजू	6
2	अनकापल्ली	17
3	अन्नामय्या	1
4	चित्तूर	20
5	तिरुपति	10
6	विशाखापत्तनम	19
7	विशाखापत्तनम	2
	कुल योग	**75**

(छ) दिनांक 30.09.2025 तक, बीएनयू द्वारा चालू किए गए नए होम फाइबर कनेक्शन का राज्य-वार विवरण और बीएनयू को वितरित प्रोत्साहन राशि **अनुबंध-II** में दी गई है।

अनुबंध- I

पैकेज सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां
1	मध्य प्रदेश, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली	मेसर्स एनसीसी लिमिटेड
2	उत्तर प्रदेश पूर्व	मेसर्स आरवीएनएल
3	कर्नाटक, गोवा, पुडुचेरी	मेसर्स पॉली कैब
4	उत्तराखंड	मेसर्स एनसीसी लिमिटेड
5	उत्तर प्रदेश पश्चिम	मेसर्स आरवीएनएल
6	बिहार	मेसर्स पॉली कैब
7	हिमाचल प्रदेश	मेसर्स आईटीआई
8	पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार	मेसर्स आईटीआई
9	पंजाब	मेसर्स एचएफसीएल
10	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख	मेसर्स एसटीएल
11	उत्तर पूर्व-2 (अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर)	मेसर्स आईटीआई
12	केरल	मेसर्स जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

अनुबंध- II

राज्य	नेट कनेक्शन्स	बीएनयू को प्रदान की गई सब्सिडी प्रोत्साहन राशि (4400/- रुपये एफटीटीएच की दर से)
अखिल भारत में	**65593**	**288609200**
अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	827	3638800
आंध्र प्रदेश	744	3273600
असम	226	994400
बिहार	2660	11704000
छत्तीसगढ	532	2340800
गुजरात	772	3396800
हरियाणा	6180	27192000
हिमाचल प्रदेश	312	1372800
जम्मू और कश्मीर	229	1007600
झारखंड	904	3977600
कर्नाटक	2517	11074800
केरल	21172	93156800
मध्य प्रदेश	1086	4778400
महाराष्ट्र	1057	4650800
मेघालय	1	4400
नागालैंड	6	26400
ओडिशा	599	2635600
पुदुचेरी	177	778800
पंजाब	16057	70650800
राजस्थान	1132	4980800
तमिलनाडु	12	52800
तेलंगाना	622	2736800
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	20	88000
त्रिपुरा	3	13200
उत्तर प्रदेश पूर्व	1804	7937600
उत्तर प्रदेश पश्चिम	1706	7506400
उत्तराखंड	858	3775200
पश्चिम बंगाल	3378	14863200

****